भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1657

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग-29 के लिए अधिगृहीत की गई भूमि

1657. श्री सनातन पांडेयः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर-बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग-29 को चौड़ा करने के लिए किसानों से अधिगृहीत की गई भूमि के साथ-साथ उनके उद्यान और ऐसी अन्य भूमि का भी अधिग्रहण किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाग/बागानों और भूमि के लिए मुआवजा प्राप्त होने के बाद किसानों के उन बैंक खातों के संचालन को सीज कर दिया गया था, जिसके कारण किसान 2018-19 से अब तक उस खाते से अपनी मुआवजा राशि नहीं निकाल पाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो बैंक खातों को चालू करने के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई की गई है अथवा इस मामले का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है ताकि किसान अपने बगीचों के लिए प्रदान की गई मुआवजा राशि निकाल सकें?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की अनुसूची I, II एवं III के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा निर्धारित किया जाता है। स्वीकृत संरेखण के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-29 गोरखपुर-वाराणसी के चौड़ीकरण के लिए संरचनाओं, उद्यानों एवं वृक्षों, यदि कोई हो, आदि सहित भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण के लिए निर्धारित मुआवजा संबंधित सीएएलए द्वारा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करा दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। मुआवजे के निर्धारण में कुछ गणना संबंधी त्रुटियों के कारण सीएएलए, गाजीपुर द्वारा उचित सुधार हेतु ग्राम कनसेहरी के लिए किसानों के 28 खातों को फ्रीज कर दिया गया है।

(घ) सीएएलए, गाजीपुर द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे अतिरिक्त राशि को सीएएलए खाते में वापस जमा कर दें तथा फ्रीज किए गए ऐसे खातों को चालू कर दें।

*****